न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 04/2020-21

अपैली सुरीन पति पियरसन सुरीन – अपीलकर्त्ता
ग्राम–कमड़ा, थाना–तोरपा, जिला–खूँटी।

बनाम्

अंचल अधिकारी, तोरपा। – विपक्षी

आदेश का क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
22.12.20		

अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–159R27/19-20 में अंचल अधिकारी, तोरपा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.19 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
कमड़ा	तोरपा 69	207	3145	0.51

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, तोरपा के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा। आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/S 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि आवेदक ने उक्त भूमि मार्शल गुड़िया पिता स्व0 हारूण गुड़िया ग्राम कमड़ा थाना तोरपा से रजिस्ट्री पट्टा सं0 1300/1280 दिनांक 03.09.19 के द्वारा क्रय किया है।

अंचल अधिकारी, तोरपा के प्रतिवेदन अनुसार जांच हेतु कागजात उपस्थापित नहीं किये जाने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

अधिवक्ता ने बहस दौरान बताया कि क्रेता एवं विक्रेता दोनों अनुसूचित जनजातियों के सदस्य और छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी के न्यायालय से अनुमति वाद सं0– 463/18–19 द्वारा क्रय–विक्रय की स्वीकृति आदेश प्राप्त कर उक्त भूमि को खरीदा है। अधिवक्ता पुनः कथन करते है कि क्रय–विक्रय संबंधी अनुमति आदेश की प्रति Deed में संलग्न की गयी थी। अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा बिना देखे ही नामांतरण अस्वीकृत कर दी गयी। अंत में अपील स्वीकार करने की प्रार्थना करते है।

अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन किया एवं पाया की आवेदक द्वारा उक्त भूमि का क्रय छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति वाद सं0– 463/18–19 में दिनांक 13.03.19 को इस न्यायालय से आदेश प्राप्त कर क्रय किया है। अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा पर आवेदक को बिक्री हेतु अनुमति दी गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, तोरपा को **Remand** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से पुनः पूर्ण दस्तावेज प्राप्त करते हुए नामांतरण हेतु न्यायसंगत कार्रवाई की जाय। आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि नामांतरण के समय अंचल अधिकारी के समक्ष सभी दस्तावेज अवलोकनार्थ उपस्थापित करे।

लेखापित एवं संशोधित

22/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

22/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।